Social Justice Union
Govt. Registered

दैनिक न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 05 अक्टूबर 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 10

महत्वपूर्ण एवं खास

ईरान-इजरायल में बढ़ते तनाव से भारत भी अलर्ट, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, एनएसए डोभाल भी पहुंचे

नई दिल्ली (आरएनएस)। इजरायल-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की तत्काल बैठक बुलाई। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह , विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पश्चिम एशिया में उभरते संकट पर गहन चर्चा की। बैठक में इजरायल पर ईरानी हमले के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने पश्चिम एशिया के मौजूदा घटनाक्रम को बेहद चिंताजनक बताया। बैठक में ईंधन समेत अन्य उत्पाद की आपूर्ति में पडने वाले असर पर भी विचार-विमर्श किया गया। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत कूटनीति और बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने की अपील की।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सहमति से शारीरिक संबंध, दुष्कर्म नहीं

प्रयागराज (आरएनएस)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि लंबे समय से सहमति से शारीरिक संबंध हों तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने अभियुक्त श्रेय गुप्ता के खिलाफ मुरादाबाद के महिला थाना में दर्ज दुष्कर्म-लूट की प्राथमिकी तथा सत्र न्यायाधीश न्यायालय में विचाराधीन केस कार्रवाई को रद कर दिया है। याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में पीड़िता विवाहित है। उसके दो बड़े बच्चे हैं। रिश्ते के समय उसका पति जीवित था, उसकी उम्र 26 साल थी। प्रेम, वासना और मोह के कारण शारीरिक संबंध बनाया। करीब 12-13 साल तक लगातार ऐसी स्थिति में रही। यह जानते हुए भी ऐसे रिश्ते में प्रवेश किया जो व्याभिचार कहलाता है। इसलिए यह बहाना बेकार है कि याची ने उसके पति की मृत्यु के बाद शादी करने का वादा किया था। याची की उम्र कम है। वह पीड़िता के पति के कारोबार में नौकर था। पीड़िता ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि पति मधुमेह की वजह से चलने फिरने में असमर्थ थे। उन्होंने उसका परिचय आरोपित (याची) से कराते हुए उसे वफादार बताया था। आरोपित ने करीबी बढऩे पर कहा कि उसका पति बस कुछ दिन और जिंदा रहेगा।

पाकिस्तान जाएंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एससीओ मीटिंग में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अक्टूबर में पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। जयशंकर पाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस सम्मेलन में भाग लेने का न्योता दिया था, हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी की जगह जयशंकर इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है जिसमें भारत, चीन, रूस , पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मंत्रालय में आदिवासी समुदाय के विधायकों और सांसदों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ा कदम उठाया। विधानसभा के उपाध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नरहरि झिरवाल सहित कई नेता मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद गए। राहत की बात यह रही है कि वह बिल्डिंग में लगे सुरक्षा जाल में इचक गए। इससे उनकी जान बच गई। जिस समय यह घटना घटी उस समय मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक चल रही थी। जानकारी के अनुसार, आदिवासी समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को राज्य सरकार के मुख्यालय मंत्रालय में विरोध प्रदर्शन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 7 हाई कोर्ट का फैसला, फिर खुलेंगे आईटीआर के 90,000 केस

नई दिल्ली । आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुराने प्रावधानों के तहत विभाग के 90,000 आईटी रिटर्न के मामलों को फिर से खोलने के निर्णय को सही ठहराया है। इनके लिए नोटिस 1 अप्रैल, 2021 के बाद जारी किए गए थे। इन नोटिसों को चुनौती देने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में 9,000 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें से अधिकांश मामलों में अदालतों ने टैक्सपेयर्स का पक्ष लिया था।

रिएसेसमेंट के नोटिस 2013-14 से 2017-18 तक के एसेसमेंट ईयर को कवर करते हैं। इनमें इंडिविज़ुअल और कॉरपोरेट दोनों टैक्सपेयर्स शामिल हैं। इसमें शामिल राशि हजारों करोड़ रुपये हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि आयकर अधिनियम के पूर्व-संशोधित प्रावधानों के अनुसार आयकर विभाग 1 अप्रैल, 2021 के बाद फिर से एसेसमेंट खोल सकता है या नहीं। 1 अप्रैल, 2021 से पहले आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि एस्केप्ड इनकम 1 लाख रुपये या उससे अधिक थी, तो संबंधित आकलन वर्ष (जिसमें नोटिस प्राप्त हुआ था) से छह साल पहले तक के मामले फिर से एसेसमेंट के लिए खोले जा सकते थे।

क्या है मामला

2021 के संशोधन में यह समय-सीमा बदल दी गई। इसके मुताबिक आयकर अधिकारी तीन साल पहले तक के मामलों को फिर से खोल सकते थे यदि एस्केप्ड इनकम 50 लाख रुपये से कम थी। यदि राशि अधिक थी, तो विभाग 10 साल तक पीछे जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021 के संशोधन ने एक नया प्रावधान (धारा 148ए) जोड़ा गया। इसके मुताबिक विभाग को रिएसेसमेंट नोटिस भेजने से पहले एक प्रारंभिक (कारण बताओ) नोटिस भेजना चाहिए। इससे टैक्सपेयर्स सुनवाई का अधिकार मिला और आयकर अधिकारी प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर विचार करने के लिए बाध्य था।

हालांकि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने पुराने कानून के तहत नोटिस जारी करने की समय अवधि बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस कारण पुराने कानून के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 के बीच रिएसेसमेंट नोटिस जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि ये नोटिस सही हैं या नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे कई उच्च न्यायालयों ने विभिन्न आधारों पर सभी रिएसेसमेंट नोटिस रद्द कर दिए। उनका मुख्य तर्क यह था कि नए प्रावधान ज्यादा फायदेमंद थे और टैक्सपेयर्स के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए थे।

इन उच्च न्यायालयों ने माना था कि संशोधित कानून रिएसेसमेंट नोटिस जारी करने की समय सीमा नहीं बढ़ाएगा। अधिवक्ता दीपक जोशी ने कहा कि आयकर विभाग ने माना है कि संशोधित कानून के तहत समय विस्तार निर्धारण वर्ष 2015-16 (वित्तीय वर्ष 2014-15) पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार, इस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए कार्यवाही समय-सीमा समाप्त होने के कारण अमान्य होगी। हालांकि एसेसमेंट ईयर 2013-14 और 2014-15 के लिए रिएसेसमेंट वैध होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संशोधित प्रावधानों को संशोधित कानून के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

तिरुपति प्रसाद विवाद

सुप्रीमकोर्ट ने नई एसआईटी का किया गठन, सीबीआई और एफएसएसएआई के अधिकारी करेंगे मामले की जांच

तिरुपति । आरएनएस

तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के आदेश जारी किए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पांच सदस्यीय जांच टीम बनाई जानी चाहिए। इस टीम में दो अधिकारी सीबीआई से, दो अधिकारी राज्य सरकार के और एक अधिकारी एफएसएसएआई का होना चाहिए। जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के प्लेटफार्म में तब्दील होने की इजाजत नहीं दे सकते। पहले इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की एसआईटी नहीं करेगी और नई एसआईटी के गठन को लेकर निर्देश दिए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने पुरानी एसआईटी पर भरोसा जताया था, लेकिन कोर्ट ने नई एसआईटी का गठन कर दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक नाटक बने। इससे पहले बुधवार को इस मामले की सुनवाई टल गई थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि शुक्रवार को केंद्र का जवाब रखेंगे इसलिए इस मामले की सुनवाई एक दिन के टल गई थी।

बता दें कि महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि राज्य में पिछली सरकार (जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली) के दौरान तिरुपति में लड्डू तैयार करने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। नायडू के इस बयान के बाद बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया।

मिर्जापुर में सड़क हादसे में 10 मजदूरों की दर्दनाक मौत

मिर्जापुर । आरएनएस

उत्तर प्रदेश के मिजऱ्ापुर में बीती देर रात एक दिल दहला देने वाले सडक़ हादसे में 10 मज़दूरों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 13 मज़दूर सवार थे। मिजऱ्ापुर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के मुताबिक़, इस हादसे में 10 मज़दूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य को गंभीर हालत में इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। हादसे का कारण और स्थिति

बताया जा रहा है कि ये सभी मज़दूर वाराणसी के रहने वाले थे और भदोही में ढलाई का काम पूरा कर अपने घर वापस लौट रहे थे। अचानक यह भयानक हादसा हुआ जिसने इन परिवारों की खुशियों को ग़म में बदल दिया।

पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने जानकारी देते हुए कहा कि हादसा आधी रात करीब एक बजे हुआ। ट्रक की तेज़ रफ्तार और लापरवाही को इस हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को ज़ब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश जारी है।

सवाल उठते हैं- यह हादसा हमारे देश में सडक़ सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सडक़ों पर तेज़ रफ्तार से दौड़ते वाहनों और लापरवाही से हो रहे इन हादसों को रोकने के लिए आखिर कब सख्त कदम उठाए जाएंगे? ट्रक ड्राइवरों की लापरवाही और सरकारी नीतियों की ढिलाई की वजह से कितने और बेगुनाह अपनी जान गंवाएंगे?

यह हादसा न केवल पीडि़त परिवारों के लिए एक बड़ी त्रासदी है, बल्कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी एक चेतावनी है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब ठोस और कड़े कदम उठाने का समय आ गया है।

कुपवाड़ा में एलओसी के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट, दो जवान घायल

श्रीनगर । आरएनएस

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास शुक्रवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट से दो जवान घायल हो गए।

यह घटना सुबह करीब तीन बजे की है। जब ये धमाका हुए था तब जवान नियंत्रण रेखा पर गश्त पर थे। घायल जवानों की पहचान 19 सिख रेजिमेंट के एक हवलदार और एक नायक के रूप में हुई है।

एक अधिकारी ने बताया, घायल सैनिकों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों घायल सैनिकों की हालत स्थिर है।

श्रीनगर स्थित 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने गुरुवार को ही पत्रकारों से कहा था कि कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए एलओसी की सुरक्षा में तैनात सैनिकों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

कश्मीर घाटी के अलावा, जम्मू डिवीजन में भी सुरक्षाबल हाई अलर्ट पर हैं। पिछले तीन-चार महीनों में जम्मू के डोडा, कठुआ, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में सेना, स्थानीय पुलिस और नागरिकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हिट-एंड-रन हमलों के बाद, माना जा रहा है कि ये आतंकवादी कट्टर विदेशी भाड़े के आतंकवादी हैं। पहाड़ी इलाकों में सेना और अन्य लोगों पर घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकवादी इन पहाड़ी जिलों के घने जंगलों में भाग जाते थे।

आतंकवादियों की इन चालों को नाकाम करने के लिए जम्मू डिवीजन के पहाड़ों की चोटियों और घने जंगलों में चार हजार से अधिक पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित जवानों को तैनात किया गया था। सुरक्षाबलों की रणनीति के बाद, इन जिलों में आतंकवादी हमलों में भारी कमी आई है। इन इलाकों में सुरक्षाबलों की सक्रियता के कारण आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई हैं। विदेशी आतंकवादियों की चुनौती का सामना करने के लिए सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसके कारण अब तक पांच आतंकवादी मारे गए हैं।

भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता किया : वाणिज्य मंत्री गोयल

नई दिल्ली । आरएनएस

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच यह समझौता भारतीय खान मंत्रालय और उसके अमेरिकी समकक्ष के बीच क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और उपकरणों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति का रास्ता खोलेगा।

इस एमओयू के साथ दोनों देशों को किसी तीसरे देश में जॉइंट प्रोजेक्ट लॉन्च करने और दूसरे देशों से निवेश को लेकर मदद मिलेगी।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपनी बैठकों की समीक्षा करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के लिए किसी तीसरे देश में संयुक्त परियोजनाएं शुरू करने और अन्य देशों से निवेश प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस समझौता ज्ञापन पर गुरुवार को अमेरिका द्वारा आयोजित छठे भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद में हस्ताक्षर किए गए। इस आयोजन की अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री गोयल और उनकी अमेरिकी समकक्ष जीना रायमोंडो ने की।

वाणिज्य मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, हमने आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखने और भारत में खान मंत्रालय और अमेरिकी सरकार के बीच अधिक सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन महत्वपूर्ण खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ग्रेफाइट, दुर्लभ एलिमेंट और तांबा शामिल हैं। ये सभी तत्व क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप देशों के समूह में भारत एकमात्र विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस समूह का हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन और यूरोपीय संघ हैं। इन देशों ने हाल ही में इस सेक्टर में फंडिंग के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एकजुट करने और संगठित करने के लिए एक वित्तीय वाहन लॉन्च किया।

मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को जून 2022 में चीन से इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। भारत ठीक एक साल बाद जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान इस समूह में शामिल हुआ था।

वाणिज्य मंत्री ने व्यापार नीति मंच की बैठक के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से भी मुलाकात की। उन्होंने बुधवार को रायमोंडो के साथ भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की सह-अध्यक्षता की।

वंदे भारत पर फिर से पथराव, कोच की खिड़की टूटी; यात्रियों में हड़कंप

नई दिल्ली । आरएनएस

दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर कानपुर के पनकी स्टेशन के पास कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया। इस घटना में ट्रेन के एक कोच की खिडक़ी टूट गई। हालांकि, इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 3 अक्टूबर को ट्रेन जब पनकी स्टेशन के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने ट्रेन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हुए इस हमले से ट्रेन में सवार यात्री दहशत में आ गए।

इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ ने पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है।

यह घटना एक बार फिर रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस को देश की सबसे आधुनिक और तेज रेल सेवाओं में से एक माना जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं इस सेवा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती हैं।

मणिपुर-नागालैंड सीमा क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके

इंफाल । आरएनएस

मणिपुर-नागालैंड सीमा क्षेत्र में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है।

मणिपुर आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि भूकंप के झटके राज्य के उत्तरी उखरुल जिले और उससे सटे नगालैंड में भी महसूस किए हैं। यह पहाड़ी जिला म्यांमार की सीमा से भी सटा हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप सतह से 30 किमी की गहराई पर आया। पहाड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम से कम एक राज्य में हर हफ्ते भूकंप आता है, जिसमें ज्यादातर भूकंप की तीव्रता 3 से 4 होती है। पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम, मिजोरम और मणिपुर में लगातार आए हल्के से मध्यम भूकंपों ने अधिकारियों को चिंतित कर दिया है। भूकंप के कारण बिल्डरों को भूकंपरोधी संरचनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

भूकंपविज्ञानी पहाड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र को दुनिया का छठा सबसे अधिक भूकंप-जनित खतरे वाला क्षेत्र मानते हैं।

1950 में आए 8.7 तीव्रता वाले भूकंप ने ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को बदल दिया था, जो उत्तर-पूर्व के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र गुवाहाटी शहर से होकर गुजरती है।

बता दें कि उखरुल में हाल ही में दो नागा गांवों के निवासियों के बीच सीमा विवाद को लेकर झड़प हो गई थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

बड़ा हादसा टला : पटरी से उतरे पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के डिब्बे, दो हिस्सों में बंटी ट्रेन; यातायात ठप

रतलाम । आरएनएस

मध्यप्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन से कुछ दूर एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया है। यहां एक टेंकर मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से एक डिब्बा पलट गया है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। इस डिब्बे से काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रिस गया था। दुर्घटना की वजह से मालगाड़ी दो हिस्सों मे बट गई और रतलाम दिल्ली का डाउन रेल लाइन यातायत ठप हो गया।

यह मालगाड़ी बड़ौदा से चलकर भोपाल की ओर जा रही थी। गुरुवार रात करीब 10 बजे यह जब मालगाड़ी रतलाम स्टेशन से कुछ दूर घटना ब्रिज से गुजर रही थी तब तीन डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें एक डिब्बा पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार सहित अन्य अधिकारी दुर्घटना राहत दल के साथ मोके पर पहुंच गए।

इस दौरान पलटे हुए डिब्बे से रिस रहे ज्वलनशील पदार्थ के आसपास किसी आमजन को नहीं आने दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने लाउडस्पीकर के जरिए बीड़ी सिगरेट या किसी भी प्रकार के अन्य ज्वलनशील पदार्थो के आसपास इस्तेमाल ना करने की चेतावनी जारी की।

इस दौरान डाउन लाइन यातायात बाधित रहा और अप लाइन से ट्रेनों को काफी धीमी गति से निकला गया। दुर्घटना के बाद राहत दल के अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेल लाइन से दुर्घटना ग्रस्त टैंकर डिब्बों को हटाकर रेल लाइन पर पुन: यातायात बहाल करने का काम किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि, पिछले पांच सालों में, भारतीय रेलवे के 17 जोन के आंकड़ों के मुताबिक, 200 गंभीर रेल दुर्घटनाओं में 351 लोगों की मौत हो गई और 970 लोग घायल हो गए हैं।

भारतीय रेलवे के अनुसार गंभीर ट्रेन दुर्घटना वह है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे चोट, जान का नुकसान, रेल यातायात में बाधा और रेलवे संपत्ति को नुकसान। दुर्घटनाओं में पटरी से उतरना, टक्कर, ट्रेन में आग आदि शामिल हो सकते हैं।